तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
18.5.23.	पत्रावली प्रार्थीगण / पुनर्विलोकन के प्रार्थना - पत्र पर पत्रावली दफ्तर से तलब कर प्रशासन गाँव के संग अभियान में ग्राम पंचायत गन्हेदी में पेश हुई। मूल प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी / पुनर्विलोकनकर्ता एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा किये जाने के कारण मूल प्रार्थना - पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः मूल प्रार्थना - पत्र की रोशनी में प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act भी इसी स्तर पर खारिज करदिया जाता है। दिनांक 23/5/22 को जारी स्थगन आदेश को निरस्त करने बाबत् तहसीलदार राजाखेड़ा को परवाना जारी किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा